Prof. Alpana Kateja
Vice-Chancellor
University of Rajasthan, Jaipur
Accredited with 'A+' Grade by NAAC

वीसीएस / 2026 / 3197-3201
जुलाई 04, 2026

- समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक, शैक्षणिक विभाग / केन्द्र
- समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय
  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय के समस्त विभागों एवं संघटक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त समय–सारिणी, कक्षाओं के नियमित संचालन, उपस्थिति, सेमेस्टर परीक्षा एवं विभिन्न गतिविधियाँ इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. सभी संघटक महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की कक्षाओं का संचालन दिनांक 15 जुलाई, 2026 से तथा सभी विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की तृतीय सेमेस्टर की कक्षाओं का संचालन दिनांक 15 जुलाई, 2026 से प्रारम्भ किया जावे।

2. समय–सारिणी में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के मध्य आधे घण्टे का अन्तराल रखा जावे। इसके लिए सभी संघटक महाविद्यालयों में कालांश समय प्रातः 8.00 से 9.00 बजे, 9.00 से 10.00 बजे ..... तक का निर्धारित किया जाये एवं स्नातकोत्तर (PG) कक्षा का कालांश समय प्रातः 8.30 से 9.30 बजे, 9.30 से 10.30 बजे..... तक का निर्धारित किया जावे।

3. समय–सारिणी में विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों को सम्पूर्ण कार्यभार आवंटन सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही अतिथि शि ाक्षकों को रिक्त कक्षाओं का आवंटन किया जाये। वरिष्ठ संकाय सदस्यों को प्रातःकालीन पारी में कक्षाओं के आवंटन में वरीयता प्रदान की जावे।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Contempt Petition No. 87/97 in S.B. Civil Writ Petition No. 4557/94 में पारित आदेश दिनांक 24–10–1997 में प्रदत्त निर्देशानुसार कक्षाओं में विद्यार्थियों की नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होने की स्थिति में सूचना नोटिस बोर्ड पर दर्शाते हुए समय–समय पर सम्बन्धित विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जावे। निर्धारित संख्या में कक्षायें नहीं लिये जाने पर विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक की रहेगी।

निरन्तर..... / 2

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004 (राजस्थान) | Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur 302 004 (Rajasthan)
+91 141 2707863 | vc@uniraj.ac.in,vcuorj@gmail.com

5. किसी भी पाठ्यक्रम में चयनित/वैकल्पिक पेपर (Elective Paper) में न्यूनतम 05 (पाँच) विद्यार्थी होने पर ही सम्बन्धित पेपर की कक्षायें संचालित की जायें।

6. विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों (SFS Courses) में निर्धारित न्यूनतम संख्या तक सीटों पर प्रवेश होने की स्थिति में ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावे। निर्धारित न्यूनतम संख्या तक प्रवेश पर पाठ्यक्रम/कक्षा संचालन किए जाने एवं इससे कम विद्यार्थी होने की स्थिति में प्रवेश रद्द करने व नियमानुसार शुल्क वापसी के तथ्य से सम्बन्धित विद्यार्थियों को पूर्व में ही स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाये।

7. समस्त महाविद्यालयों, विभागों एवं केन्द्रों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों (SFS Courses) में अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा ली गई कक्षाओं का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. शैक्षणिक सत्र में सभी विभागों में शोध सलाहकार समिति (R.A.C.) की बैठक का आयोजन प्रत्येक छह माह (मार्च एवं सितम्बर) में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

Alpana 4/7/26

(प्रो. अल्पना कटेजा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, शैक्षणिक–1/2, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव–कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राज. वि.वि., जयपुर।

Alpana

कुलगुरु